न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 101/2021

योगेश पुत्र स्व. बुधराम जाति खाती निवासी नावता, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

—अपीलांट

—बनाम—

नायब तहसीलदार महोदय सिंघाना, उप तहसील सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

—रेस्पोडेंटस

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना
उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र, अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 132/2021 निर्णय दिनांक 15.09.2021

उपस्थितिः—

1 .श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट ——————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ——————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.09.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम नरेन्द्र, मु0 नं0 132/2021 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि — हल्का पटवारी ने अपीलार्थी के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिर्पोट की है। नरेन्द्र भारतीय सेना में नौकरी करता है जिसको धारा 91 का नोटिस दिया है जिसकी कोई तामिल नहीं हुई है। अपीलार्थी योगेश व नरेन्द्र व स्व. सतीश तीन भाई हैं, जिनका संयुक्त परिवार है,इसलिये अपीलार्थी उक्त आदेश दिनांक 15.9.2021 से प्रभावित होता है। प्रभावित पक्षकार की हैसियत से अपील प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उक्त निर्णय अस्तित्व में रहने से अपीलार्थी गंभीर रूप से प्रभावित होता है। धारा 96 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया गया है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर पूर्व [illegible] समय से आबाद है। अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलार्थी के पास ग्राम नावता में रिहायश का कोई अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested

भूखण्ड नहीं है। अपीलार्थी जहां आबाद है, वहां कॉलोनी के रूप में लोग बसे हुये हैं। अपीलार्थी के चारों और सघन आबादी बसी हुई है, गलियों व रास्तों में सड़क बनी हुई है। विधुत विभाग द्वारा सभी रास्तों पर विधुत पोल डालकर विधुत की लाईन लगी हुई है तथा जलदाय विभाग की ओर से पानी की टंकी बनी हुई है तथा उसके पास ही सरकार का बोरिंग का कुआ बना हुआ है, इसलिये हल्का पटवारी ने गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलार्थी अपने दादा व पिता के समय से उक्त भूमि पर आबाद है। उक्त भूमि पर 1950 से पूर्व से लैण्ड रेवन्यु एक्ट आने से पूर्व से आबाद हैं। जहां अपीलार्थी आबाद है उस सघन आबादी के उपयोग के लिये सामुदायिक विकास भवन बना हुआ है। अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता और ना ही अपीलार्थी का कोई अवैध कब्जा है। अदालत मातहत का निर्णय साईकलो स्टाइल निर्णय है, उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार सिंघाना का निर्णय दिनांक 15.09.2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– हल्का पटवारी ने अपीलार्थी के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिर्पोट की है। नरेन्द्र भारतीय सेना में नौकरी करता है जिसको धारा 91 का नोटिस दिया है जिसकी कोई तामिल नहीं हुई है। अपीलार्थी योगेश व नरेन्द्र व स्व. सतीश तीन भाई हैं, जिनका संयुक्त परिवार है, इसलिये अपीलार्थी उक्त आदेश दिनांक 15.9.2021 से प्रभावित होता है। प्रभावित पक्षकार की हैसियत से अपील प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उक्त निर्णय अस्तित्व में रहने से अपीलार्थी गंभीर रूप से प्रभावित होता है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर पूर्वजों के समय से आबाद है। अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलार्थी के पास ग्राम नावता में रिहायश का कोई अन्य भूखण्ड नहीं है। अपीलार्थी जहां आबाद है, वहां कॉलोनी के रूप में लोग बसे हुये हैं। अपीलार्थी के चारों और सघन आबादी बसी हुई है, गलियों व रास्तों में सड़क बनी हुई है। विधुत विभाग द्वारा सभी रास्तों पर विधुत पोल डालकर विधुत की लाईन लगी हुई है तथा जलदाय विभाग की ओर से पानी की टंकी बनी हुई है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

उसके पास ही सरकार का बोरिंग का कुआ बना हुआ है। अपीलार्थी अपने दादा व पिता के समय से उक्त भूमि पर 1950 से पूर्व से लैण्ड रेवन्यु एक्ट आने से पूर्व से आबाद हैं। जहां अपीलार्थी आबाद है उस सघन आबादी के उपयोग के लिये सामुदायिक विकास भवन बना हुआ है। अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता और ना ही अपीलार्थी का कोई अवैध कब्जा है। अदालत मातहत का निर्णय साईकलो स्टाइल निर्णय है, उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार सिंघाना का निर्णय दिनांक 15.09.2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिंघाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि पर उनका बहुत पुराना वर्ष 1950 से पूर्व उनके दादा के समय से रिहायशी मकान बनाकर आबाद हैं। मौके पर पूर्ण रूप से सघन आबादी है, लोगों के बिजली पानी के कनेक्शन हैं, सामुदायिक भवन बने हुये है। विवादित भूमि पर अपीलांट व उनके भाइयों का संयुक्त परिवार आबाद है। अपीलांट का भाई भारतीय सेना में नौकरी करता है, जिसकी तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.9.2021 से वह प्रभावित पक्षकार है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विवादित भूमि की किस्म गै0 मु0 पहाड़ है जो पुराने कब्जे के आधार पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियमन योग्य है, अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जावे ताकि वह साक्ष्य सबूत पेश कर सके आदि। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र मु0नं0 132/2021 धारा 91 एल.आर.एक्ट निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार सिंघाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested